APPENDIX XII

Constitution of the Reconstituted Regional Records Survey Committees

मध्य प्रदेश

पुरातत्व विभाग

क्रमांक 728/26/पुरा०/77 भोपाल, दिनांक 29 अगस्त, 77

संकल्प

विषय : क्षेत्रीय अभिलेख सर्वेक्षण समिति का पुनर्गठन ।

राज्य शासन क्षेत्रीय अभिलेख सर्वेक्षण समिति का पुनर्गठन करता है जिसके निम्नांकित सदस्य होंगे :—

1. डा० रघुवीरसिंह, डी० लिट०, एल० एल० बी०, श्री रघुवीर निवास, सीमामऊ, जिला मन्दसौर (म० प्र०)	अध्यक्ष
2. पंडित सुन्दर लाल त्रिपाठी, द्वारा श्री श्रीकान्त त्रिपाठी, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, जगदलपुर, जिला बस्तर (म० प्र०)	सदस्य
3. प्रोफेसर ए० एच० निजामी, थोधर जिला रीवा (म० प्र०)	सदस्य
4. श्री आर० एम० सिन्हा, एम० ए० एल० एल० बी०, पी० एच० डी०, राइट हाऊन, जबलपुर (म० प्र०)	सदस्य
5. प्रोफेसर तथा अध्यक्ष इतिहास विभाग, इन्दौर विश्वविद्यालय, इन्दौर (म० प्र०)	सदस्य
6. प्रोफेसर तथा अध्यक्ष इतिहास विभाग, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन (म० प्र०)	सदस्य
7. प्रोफेसर तथा अध्यक्ष, इतिहास विभाग, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर (म० प्र०)	सदस्य
8. प्रोफेसर तथा अध्यक्ष, इतिहास विभाग, सागर विश्वविद्यालय, सागर (म० प्र०)	सदस्य
9. प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, इतिहास विभाग, जबलपुर विश्वविद्यालय, जबलपुर (म० प्र०)	सदस्य
10. प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, इतिहास विभाग, भोपाल विश्वविद्यालय, भोपाल (म० प्र०)	सदस्य
11. प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, इतिहास विभाग, रवि शंकर विश्वविद्यालय, रायपुर (म० प्र०)	सदस्य

12. प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, इतिहास विभाग, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म० प्र०) — सदस्य

13. श्री आर्थर हज, सेवा निवृत्त, आई० सी० एस० — सदस्य

14. श्री एच० एन० द्विवेदी, द्वारा विद्या मन्दिर मोरार, ग्वालियर (म० प्र०) — सदस्य

15. संचालयक अभिलेखागार, भारत शासन अथवा उनके द्वारा मनोनीत सदस्य — सदस्य

16. संचालक राज्य अभिलेखागार, पूरान सचिवालय, डी० ब्लॉक, म० प्र० भोपाल — सदस्य

17. पुरालेख अधिकारी, राज्य अभिलेखागार, पुराना सचिवालय, भोपाल — सदस्य

2. समिति की अवधि तीन वर्ष होगी। समिति की बैठक वर्ष में कम-से-कम दो बार बुलाई जाएगी।

3. अध्यक्ष, कतिपय अशासकीय तथा प्रभावशाली व्यक्तियों का जब उचित समझे किसी समिति की बैठक में आमन्त्रित कर सकेंगे।

4. समिति निम्न कार्य करेगी :—

1. म० प्र० में प्राचीन अभिलेखों की खोज तथा सवक्षण करना।
2. प्राचीन अभिलेखों को व्यवस्थित करने, उसकी ठीक-ठीक सूची बनाने तथा उनके संरक्षण करने के संबंध में शासन को परामर्श देना।
3. बहुमूल्य अभिलेखों को दान स्वरूप ग्रहण करना अथवा राज्य की पुर्वानुमति से उनको क्रय करना।
4. ऐसे समस्त कार्यों का वार्षिक विवरण प्रकाशित करना।

आदेश

इस संकल्प की एक प्रति समस्त सदस्यों की भेजी जावें तथा राजपत्र में सर्व साधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जावे।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार
ह०/-
(जी० वेकन्ना)
उप-सचिव
मध्य प्रदेश शासन, पुरातत्व विभाग

पृष्ठांकन क्रमांक 724/26/पुरा०/77 भोपाल, दिनांक 29 अगस्त 1977

प्रतिलिपि :—

1. महालेखापाल, म० प्र० ग्वालियर को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्यवाई हेतु अग्रेषित।
2. अधीक्षक, शासकीय मुद्रणालय म० प्र० भोपाल को आगामी राजपत्र में प्रकाशनार्थ अग्रेषित।
3. समस्त सम्बन्धित सदस्यों को सूचनार्थ अग्रेषित।

ह०/-
(जी० वेकन्ना)
उप सचिव
मध्य प्रदेश शासन पुरातत्व विभाग।

उत्तर प्रदेश

संख्या 438/चार-8 (1)/73

प्रेषक,

श्री श्रीलाल शुक्ल,

संयुक्त सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
सांस्कृतिक कार्य, उत्तर प्रदेश,
लखनऊ।

सांस्कृतिक कार्य अनुभाग — लखनऊ दिनांक 10 जनवरी, 1978

विषय : उत्तर प्रदेश क्षेत्रीय अभिलेख सर्वेक्षण समिति एवं क्रय समिति का पुनर्गठन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासकीय आदेश संख्या 1169/चार-8 (1)/73 दिनांक 15 अक्तूबर, 1973 के क्रम में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल इस आदेश के जारी होने की तिथि से तीन वर्ष के लिए उत्तर प्रदेश क्षेत्रीय अभिलेख सर्वेक्षण समिति के पुनर्गठन का आदेश देते हैं। इस पुनर्गठन समिति के निम्नलिखित सदस्य होंगे :—

1. मन्त्री, सांस्कृतिक कार्य, उत्तर प्रदेश	अध्यक्ष
2. आयुक्त एवं सचिव, सांस्कृतिक काय विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।	सदस्य
3. निदेशक, सांस्कृतिक कार्य, उत्तर प्रदेश।	सदस्य या मनोनीत सदस्य
4. निदेशक, राष्ट्रीय अभिलेखागार, नई दिल्ली।	सदस्य
5. डा० विशेश्वर प्रसाद, अध्यक्ष आर्काईवल लेजिस्लेशन कमेटी, भारत सरकार, 34, चैथम लाईन्स, इलाहाबाद।	सदस्य

79-M/B(D)242NAI—19

6. डा० हरि शंकर श्रीवास्तव, सदस्य
अध्यक्ष,
इतिहास विभाग,
गोरखपुर विश्वविद्यालय,
गोरखपुर।

7. डा० इरफान हबीब, सदस्य
अध्यक्ष,
इतिहास विभाग,
अलीगढ़ विश्वविद्यालय,
अलीगढ़।

8. डा० भूपेन्द्र कानूनगो, सदस्य
अध्यक्ष,
इतिहास विभाग,

9. डा० भगवती प्रसाद पान्थरी, सदस्य
अध्यक्ष,
इतिहास विभाग,
काशी विद्यापीठ,
वाराणसी।

10. डा० रमेश चन्द्र सदस्य
अध्यक्ष,
डी० ए० वी० कॉलिज, कानपुर,
(कानपुर विश्वविद्यालय)

11. डा० सुधीन्द्र नाथ कानूनगो, सदस्य
अध्यक्ष,
इतिहास विभाग,
लखनऊ विश्वविद्यालय,
लखनऊ।

12. डा० भगवान दास गुप्ता, सदस्य
अध्यक्ष,
इतिहास विभाग,
बुन्देलखण्ड डिग्री कॉलिज,
झांसी (बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय)

13. डा० पी० एन० मुखर्जी, सदस्य
अध्यक्ष,
इतिहास विभाग,
डी० ए० वी० कालेज,
देहरादून,
(गढ़वाल विश्वविद्यालय)

14. प्रो० वी० आर० चटर्जी, सदस्य
अध्यक्ष,
इतिहास विभाग,
मेरठ कालेज, मेरठ
मेरठ विश्वविद्यालय

15. डा० चन्द्र भूषण त्रिपाठी, सदस्य
अध्यक्ष
इतिहास विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय,
इलाहाबाद

16. डा० अगम प्रसाद माथुर, सदस्य
अध्यक्ष,
इतिहास विभाग,
आगरा कालेज,
(आगरा विश्वविद्यालय)

17. निदेशक, सदस्य सचिव
उत्तर प्रदेश राजकीय अभिलेखागार,
लखनऊ।

2. उक्त समिति उत्तर प्रदेश राजकीय अभिलेखागार की परामर्शदात्री समिति भी होगी। उत्तर प्रदेश क्षेत्रीय अभिलेख सर्वेक्षण समिति के निम्नलिखित कार्य होंगे :—

1. उत्तर प्रदेश राजकीय अभिलेखागार के सुचारू रूप से संचालन हेतु राज्य सरकार को समय-समय पर परामर्श देना।

2. प्राचीन हस्तलिखित ऐतिहासिक ग्रन्थों एवं अभिलेखों की सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में सुव्यवस्थित ढंग से खोज करना।

3. इन ग्रन्थों एवं अभिलेखों को दान के रूप में या क्रय करके प्राप्त करना तथा उनको शोध कार्य के लिए उपलब्ध करना।

4. इन ग्रन्थों एवं अभिलेखों का वैज्ञानिक रीति से संरक्षण करना।

5. इन ग्रन्थों की प्राप्ति सूची कलेडरिंग, कैटालागिग तथा अन्य प्रकार की सहायता सूचियां तैयार करना तथा उन्हें प्रकाशित करना।

6. व्यक्तिगत अधिकारों में रखे गये अभिलेखों एवं ग्रन्थों के वैज्ञानिक संरक्षण के लिए आवश्यक परामर्श देना।

7. उन महत्वपूर्ण ग्रन्थों की माइक्रोफिल्म प्रति प्राप्त करना जिनको लोग राजकीय अभिलेखागार को देना नहीं चाहते हैं।

8. जनता में अभिलेख संरक्षण की भावना को प्रोत्साहन देने हेतु उत्तर प्रदेश के भिन्न-भिन्न जिलों में अभिलेख प्रदर्शनी का आयोजन करना।

3. यह समिति ऐसे सदस्यों को भी समय-समय पर मनोनीत कर सकती है जिनकी सलाह की उसे आवश्यकता है।

4. निम्नलिखित प्रकार के ग्रन्थ एवं अभिलेख इस समिति द्वारा प्राप्त किये जायेंगे।

1. ऐतिहासिक हस्तलिखित ग्रन्थ एवं अभिलेख।

2. किसी महान व्यक्ति द्वारा लिखित महत्वपूर्ण ग्रन्थ या पत्र।

5. एक अभिलेख क्रय समिति भी होगी जो क्षेत्रीय अभिलेख सर्वेक्षण समिति उत्तर प्रदेश को हस्तलिखित ग्रन्थों एवं अभिलेखों के चुनाव एवं मूल्यांकन के सम्बन्ध में अपनी संसतुति करेगी। इसमें निम्नलिखित होंगे :—

1. डा० विश्वेश्वर प्रसाद, सदस्य
34, चैयम लाइन्स,
इलाहाबाद।

2. डा० चन्द्र भूषण त्रिपाठी, सदस्य
अध्यक्ष, इतिहास विभाग,
प्रयाग विश्वविद्यालय,
इलाहाबाद।

3. निदेशक, उत्तर प्रदेश संस्कृत सदस्य
अकादमी, लखनऊ।

4. डा० वलीउलहक अन्सारी, अध्यक्ष, फारसी विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ ।	सदस्य
5. आयुक्त एवं वित्त सचिव द्वारा नामित कोई अधिकारी ।	सदस्य
6. निदेशक, सांस्कृतिक कार्य के प्रतिनिधि ।	सदस्य
7. सचिव, उर्दू अकादमी, लखनऊ ।	सदस्य
8. पाण्डुलिपि अधिकारी, पाण्डुलिपि पुस्तकालय, 53, महात्मा गांधी मार्ग, इलाहाबाद ।	सदस्य
9. निदेशक, उत्तर प्रदेश राजकीय अभिलेखागार, लखनऊ ।	सदस्य-सचिव

6. अभिलेख क्रय समिति हस्तलिखित ग्रन्थों एवं अभिलेखों का प्रदेश में भिन्न-भिन्न स्थानों पर अध्ययन करके उनके उपयोगिता पर विचार करेगी और अपनी संस्तुति के साथ वह क्षेत्रीय अभिलेख सर्वेक्षण समिति के सम्मुख विचारार्थ रखेगी। समिति की आवश्यकतानुसार अपनी बैठक करेगी।

7. सभी प्रकार के हस्तलिखित ग्रन्थ, अभिलेख माइक्रोफिल्म प्रतियां नोटस इत्यादि जो समिति को दान के रूप में या क्रय के रूप में प्राप्त होंगे वे सरकार की सम्पत्ति होंगे और राजकीय अभिलेखागार में सुरक्षित रहेंगे।

8. राजकीय अभिलेखागार के प्राविधिक सहायक कनिष्ठ प्राविधिक सहायक क्षेत्रीय सहायक आदि द्वारा पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम के अनुसार पूरे उत्तर प्रदेश का सर्वेक्षण किया जायेगा। समितयों के सचिव उन लोगों के कार्यों का जिलों में जाकर स्वयं निरीक्षण करेंगे और इस सम्बन्ध में अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रतिमाह अवश्य प्रेषित किया करेंगे। जिन जिलों में हस्तलिखित ग्रन्थ एवं अभिलेख अधिक उपलब्ध होंगे वहीं पर अभिलेख क्रय समिति की बैठक बुलाई जायेगी।

9. राज्यपाल महोदय ने फाइनेन्शियल हैण्ड बुक, खण्ड–3 के नियम 20(बी) के अन्तर्गत आदेश दिये हैं कि क्षेत्रीय अभिलेख सर्वेक्षण क्रय समिति के ऐसे गैर सरकारी सदस्य जो कि उस स्टेशन के स्थानीय निवासी नहीं हैं जहां समिति का मुख्यालय है या जहां उसकी बैठक होती हैं, को समिति की बैठक में शामिल होने तथा समिति सम्बन्धी सर्वेक्षण कार्य के लिये की गई यात्राओं तथा पड़ाव के लिए नियमानुसार प्रथम श्रेणी के सरकारी अधिकारियों के देय यात्रिक और दैनिक भत्ते के बराबर यात्रिक तथा दैनिक भत्ते दिये जायेंगे। यह भत्ते इन लोगों के सामान्य निवास स्थान से समिति की बैठक के स्टेशन तक तथा वहां से सामान्य निवास स्थान तथा वापसी की यात्राओं के लिए देय होंगे। परन्तु यदि समिति की ऐसे गैर सरकारी सदस्यों को जो विधान मण्डल के सत्र के मध्य लखनऊ में उपस्थित हो, लखनऊ से भिन्न किसी स्थान पर समिति की बैठक में उपस्थित होना अपेक्षित हो, तो उनको सामान्य निवास स्थान के बजाय लखनऊ में बैठक के स्थान तक जाने तथा लखनऊ वापस आने के लिए यात्रा भत्ता स्वीकार्य होगा। अगर यात्रा के समय रेलवे रियायती दर पर टिकट देती है तो यात्रिक भत्ता रेल के वास्तविक किराये या प्रथम श्रेणी के अधिकारी को देय प्रासंगिक व्यय के बराबर होगा। यदि कोई गैर सरकारी सदस्य विधान मण्डल या संसद का सदस्य भी है तो उसकी रेल से यात्रा करने के लिए रेल का किराया नहीं मिलेगा बल्कि केवल उक्त आदेशानुसार प्रासंगिक व्यय देय होगा क्योंकि उनको रेल यात्रा के लिए मुफ्त कूपन पास मिलते हैं। यात्रिक तथा दैनिक भत्ता उक्त नियम के नीचे अंकित नोट 4 तक के प्रावधानों के अधीन होगा।

10. समिति के गैर सरकारी सदस्यों के यात्रा भत्ता के विमत्रों के नियन्त्रण अधिकारी निदेशक, सांस्कृतिक कार्य, उत्तर प्रदेश लखनऊ होंगे। सरकारी सदस्य वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड 3 में दिये गये नियमों के अनुसार साधारण दरों पर ग्राह्य यात्रा भत्ता के अधिकारी होंगे और उसका व्यय सम्बन्धित विभागीय आय व्ययक से पूरा किया जायेगा।

11. उपर्युक्त व्यय आय व्ययक के लेखा शीर्षक "278 कला एवं संस्कृति आयोजनेतर डा० प्राभिलेख तथा संग्रहालय (1) राज्य प्राभिलेख (2) सभागीय अभिलेख सर्वेक्षण समिति" के नाम डाला जायेगा।

12. ये आदेश वित्त विभाग को अशासकीय संख्या ई० 12/1513/दस–77 दिनांक 6 मई, 1977 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,
ह०/–
(श्री दुलाल शुक्ल)
संयुक्त सचिव

संख्या–438(1)/चार–8(1)/73 दिनांक]